

प्रकरण संख्या 116/2022 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. उदयराम पिता मोहन जी जाति काछी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
 2. मुकंद पिता मोहन जी जाति काछी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- वादीगण

बनाम

1. उंकार पिता राधेश्याम जी काछी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. प्रहलाद पुत्र राधेश्याम जी काछी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
3. हीरालाल पुत्र राधेश्याम जी काछी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री शम्भूलाल तेली - अधिवक्ता वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक :- 22.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री शम्भूलाल तेली वादीगण अधिवक्ता पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा कचरियाखेड़ी पटवार हल्का ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 344 की आराजी नंबर 104 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 90 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 93 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे. मु.चाह, आराजी नंबर 94 रकबा 0.4100 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि का बटवारा प्रस्ताव निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 23.07.2023 की पालना में बटवारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा दिनांक 04.07.2024 को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

1. श्री उंकार प्रहलाद हीरालाल पिता राधेश्याम काछी सा.देह रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)
381	0.06
388	0.44

कुल किता-2 0.50

- 2 श्री उदयराम मुकंद पिता मोहनलाल काछी सा. देह रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)
381	0.05
387	0.45

कुल किता-2 0.50



सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा


3 श्री उंकार, प्रहलाद, पिता राधेश्याम 1/2, उदयराम मुकंद पिता मोहनलाल 1/2
काछी सा.देह रहन बदस्तुर

आराजी न. रकबा (हैक्टयेर)
381 0.02

कुल किता-1 0.02

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्वाहेड़ा राजस्व
रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी
पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.08.2024 को जारी की
गई।
मुहर


दस्तखत
ओहदा
सहायक कलेक्टर
निम्वाहेड़ा

मुददर्ई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.	..	0	फीस कमिश्नर	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	.		बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	.		मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये
दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

